न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / रसद / 05 / 2018

विपिन कुमार उचित मूल्य दुकानदार वार्ड नं0 23 व 25 कस्बा कांमा तहसील कांमा जिला भरतपुर

..... अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी, भरतपुर .....रेस्पो0

प्रथम अपील विरुद्व आज्ञा जिला रसद अधिकारी भरतपुर दिनांक 23–11–2017 बावत निरस्त करने प्राधिकार पत्र अन्तर्गत धारा 22 खाद्य सुरक्षा अधिनियम

उपस्थितिः–

1–पंकज कुमार ऐडवोकेट अभिभाषक अपीलार्थी
2–प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार रसद

निर्णय

दिनांक 14.08.2019

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी के निर्णय के खिलाफ कानून व रिकॉर्ड के विपरीत है जो काबिल खारिज योग्य है। जिला रसद अधिकारी ने आज्ञा देने से पूर्व पत्रों का अवलोकन नहीं किया । रेस्पोडेन्ट द्वारा दिये गये नोटिस का जो जवाव अपीलान्ट द्वारा दिया गया उसमें स्पष्ट लिखा है कि दुकान में अधिक मात्रा में गेंहू उपभोक्ताओं का ही है जो बाद में ले जाने का कहकर दुकान पर रख कर चले गये थे। अपीलांट ने इस वावत उपभोक्ताओं के राशन कार्ड की प्रतियां भी प्रस्तुत की है। किसी भी उपभोक्ता ने अपीलांट के विरूद्व किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की है। आज्ञा कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने के कारण व नियमों के विपरीत होने के कारण काबिल खारिज है। दुकान में मिले चीनी के कम स्टाक के बारे में अपीलान्ट ने अपने जबाव में लिखा है कि जांच में कम पाई गई चीनी दुकान में मौजूद है जो सहवन से जांच के समय दर्ज नहीं हो पाई थी। रेस्पोडेन्ट मुताविक जबाब दुबारा जांच के आदेश दे सकते थे। ऐसा ना करके रेस्पोडेन्ट ने प्राधिकार पत्र निरस्त करने की कार्यवाही को जो काबिल खारिज है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि अधीनस्थ

न्यायालय दिनांक 23.11.2017 अपीलाधीन आदेश को निरस्त कर अपीलांट के लाईसेंस को बहाल किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो एवं पत्रावली तहत तलब की गई।

अपीलान्ट अभिभाषक उपस्थित। रेस्पो. पैरोकार रसद ई.ओ. उपस्थित। अपीलान्ट अभिभाषक की लिखित बहस पेश की। ई.ओ. पेरोकार की बहस सुनी गई। अपीलांट अभिभाषक ने अपने लिखित बहस में जाहिर किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड का अवलोकन किये बिना आज्ञा पारित की है जो कि काबिल खारिज है। अपीलान्ट की दुकान में अधिक मात्रा में गेंहू उपभोक्ताओं का ही है जो बाद में ले जाने का कहकर दुकान पर रख कर चले गये थे। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अस्पष्ट व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने के कारण काबिल खारिज है। दिनांक 23.11.2017 अपीलाधीन आदेश को निरस्त कर अपीलांट के लाईसेंस को बहाल किया जावे।

पैरोकार रसद ने अपने कथनों में जाहिर किया कि अपीलान्ट डीलर की दुकान पर वक्त जांच 2.66 क्विंटल गेंहू व 404.5 लीटर कैरोसीन अधिक तथा चीनी 59 किलो 500 ग्राम कम पाई गई। अप्रार्थी डीलर के द्वारा अपने बचाव में केवल राशनकार्डों की छाया प्रतियां प्रस्तुत की गईं है। जिससे यह साबित नहीं होता है कि बचाई गई राशन सामिग्री उसी राशनकार्डधारी को ही वितरित की है। अप्रार्थी डीलर के द्वारा के किसी भी उपभेक्ता को व्यक्तिशः उपस्थित नहीं किया है और ना ही किसी भी उपभोक्ता के शपथ पत्र आदि प्रस्तुत किये है और न ही मूल राशनकार्डों से पूर्व में प्रस्तुत छाया प्रतियों का सत्यापन करवाया है। अप्रार्थी डीलर पर निर्धारित किये गये आरोप पुष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण यथावत रहते हैं। अप्रार्थी डीलर का उक्त कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5 व 17 सी का उल्लंघन किया है। उनका कहना है कि जिला रसद अधिकारी भरतपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश सही पारित किया गया है। अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावलीयों का अवलोकन किया गया। अपीलांट अभिभाषक की लिखित बहस व रेस्पो. पैरोकार रसद के कथनों पर गौर किया गया। तहत पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट डीलर द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या शर्त संख्या 5 व 17 (सी) का उल्लंघन किया गया है। तहत न्यायालय द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है। अस्तु अपील काबिल खारिज के रहती है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस जिला रसद अधिकारी भरतपुर को लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2019 को सुनाया गया ।

(डॉ. आरुषी मलिक)
जिला कलक्टर
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official